

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलुम्बर (राज.)

पुरा व अन्य बनाम अमरा व अन्य  
 मुकदमा शाम्बर वाद पत्रावली संख्या 01/2026 सन \_\_\_\_\_

तारीख हुकम	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी
19.01.26	वाद जांच पत्रावली दर्प रजिस्ट्रर कोर्ट पेश हुई, वादीगणों को नोटिस जारी किया जाकर वास्ते पत्रावली तलबी दिनांक 27/2/26 को पेश हो। 	
27/2/26	पत्रावली पेश हुई तदानी लदा लसाडिया से प्रारिणादीगणों की तामील अफाफ इन्तजात तलबी दिनांक 17/4/26 को पेश हो। 	
17/4/26	पत्रावली पेश हुई तदानी लदा लसाडिया प्रारिणादीगणों की तामीले अफाफ इन्तजात तलबी वास्ते पत्रावली दिनांक 15/5/26 को पेश हो। 	
15.5.26	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता अनुपरिषद वाद तामील अफाफ इन्तजात तलबी वास्ते पत्रावली दिनांक 29/5/26 को पेश हो। 	
29.5.26	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता अनुपरिषद प्रारिणादी अनुपरिषद TDR लसाडिया से प्रारिणादीगणों की वाद तामील अफाफ, वादी अधिवक्ता को अकील पेशी पर अपना	

रखने हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित  
 रहे, अनुपस्थित रहने पर हुकम न्याया  
 धात्री अमल में लट्टि जायेगी, वास्ते पत्रावली  
 द्वारा तलबी दिनांक 05.06.2026  
 को पेश हो।



05.06.2026

पत्रावली पेश हुई वही अधिवक्ता अनुपस्थित  
 प्रतिवारी अनुपस्थित, वही अधिवक्ता द्वारा  
 उक्त वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया  
 तो न्यायालय को भद्र अपेक्षा रहती  
 है की वह न्यायालय में उपस्थित  
 होकर अपना पक्ष रखे, लेकिन  
 वही अधिवक्ता न्यायालय में अनुपस्थित  
 रहे, इससे भद्र जाहीर होगा है की  
 वही अधिवक्ता मम वादीगण को उक्त  
 वाद के सम्बन्ध में कोई कृपि नही  
 है, अतः न्यायालय द्वारा न्यायालय  
 समय में 02 बार बार-बार आवाजे  
 लगाने के उपरान्त भी अनुपस्थित  
 रहने से प्रकृष्ट इसी स्तर पर भद्रम  
 जाहीर अदम पेशगी में रखाविल किया  
 जाता है।

पत्रावली फौजल मुमाद होकर  
 नम्बर से कम किया जावे।

निर्णय खुद न्यायालय में मुनामा  
 गया।

